

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

**Declaration of the result of Election under section 66 of
the Representation of the People Act, 1951.**

*Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan State** from **46-Jhotwara** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Sh. Lalchand Kataria, Kataria krishi farm, Bishanawala, Sirsi Road, Post Minawala, Jaipur, sponsored by Indian National Congress has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Jaipur

Date : 11.12.2018

(Devyani)
Returning Officer
Assistant Collector and Executive
Magistrate
(Fast Track), Amber, HQ. Jaipur
Assembly Constituency 46 - Jhotwara

प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखें)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

46-झोटवाड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान राज्य के विधानसभा का निर्वाचन निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करती हूँ कि – श्री लालचन्द कटारिया, कटारिया कृषि फॉर्म, बिशनावाला, सिरसी रोड़, पोस्ट मीनावाला, जयपुर, इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा प्रयोजित, को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान:- जयपुर

तारीख 11.12.2018

(देवयानी)
रिटर्निंग आफिसर
सहायक कलक्टर एवं कार्यापालक
मजिस्ट्रेट,
(फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 46-झोटवाड़ा